न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 04/2022

प्रकरण दर्ज तिथि :— 09.03.2022

जीसीएमएस **नम्बर :— 2022/84**

प्रार्थीगण

कमलेश मेहता पुत्र श्री प्रकाश चंद मेहता, उम्र—वयस्क, जाति मेहता जैन, निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थी

1 राज. सरकार बजरिये लैण्ड हौल्डर. तहसीलदार रायपुर,

प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार उपस्थित

—: निर्णय :— **दिनांक : 16.08.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि सरहद मौजा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा धोलिया पटवार हल्का सेन्दडा भु. अभि. निरि. सेन्दडा तहसील रायपुर के खसरा नं. 227 रक्बा 0.0632 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 237/2 रक्बा 0.0497 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 237/1 रक्बा 0.1016 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 238 रक्बा 0.0519 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भुमि आई हुई हे एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है। जिनकी जमाबंदी संवत 2076—2079 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति तथा नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त प्रार्थना पत्र मे उक्त भुमि को विवादित भुमि कहा जायेगा।प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि खसरा नं. 227, 237/1, 237/2, 238 मे बिना किसी रोक टोक के मुख्य सडक खसरा सं. 225/1 से अप्रार्थी की खातेदारी भुमि खसरा सं. 225 मे आवागमन कर रहे है। उक्त खसरा सं. 225 अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी मुख्य रास्ते खसरा नं. 225/1 से विवादित भुमि मे बिना रोक—टोक के नजरी नक्शे अनुसार अपने खेत मे आया जाया करते थे। प्रार्थी के कृषि के सम्बन्ध के साधन भी आ जा रहे थे। जो प्रार्थी लम्बे समय से एवं पुर्वजो के समय से आवागमन हेतु रास्ता उपभोग उपयोग करते थे जहा पर अप्रार्थी एवं अन्य वयक्ति ने अपना हक अधिकार नहीं जमाया ना ही वहा खेती की थी। जिस कारण लम्बे समय वक्त सेटलमेन्ट से ही वहॉ कच्चा रास्ता मौके पर बना हुआ है एंव वहा पर सेटलमेन्ट से कदिमी रास्ता चला आ रहा है। प्राथी अपनी भुमि को कृषि कार्य करने आवागमन करने से बैक ऋण इत्यादि नही मिल पा रहे है प्रार्थी को आवागमन करने मे भी भारी समस्या का सामना पडता है क्योकि राज्य सरकार की भुमि बीच मे आने से कोई भी व्यक्ति कब्जा कर सकता है इसलिए ऋण लेने हेतु बैंक जाने

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

एवं बैक के अधिकारीगण एवं वहा के कर्मचारी ने बताया कि आपकी भुमि एवं मुख्य सडक कि भुमि के मध्य सं. 225 की भुमि राज्यसरकार की भुमि आ रही है इसलिए या ता इसमे रास्ता करवाये या आवेदन पत्र वापस ले ले इसलिए प्रार्थी की भुमि मे आने जाने का रेकडेर्ड रास्ता नही होने से प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी अपनी भुमि का सम्परिवर्तन करवाने हेतु भारी समस्या का सामना करना पड सकता है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि खसरा सं. 227, 237/1, 237/2, 238 मे आने जाने हेतु राज्य सरकार की खातेदारी भुमि ग्राम धोलिया के खसरा नं. 225 मे से 30 फुट चोडा एवं मुख्य रास्ते से अपने खेत मे जाने तक लम्बा भुमि रास्ते मे उपयोग उपभोग की आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त भुमि को राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते हैं जिसके प्रार्थी को भविष्य मे कभी परेशानी का सामना नही करना पडे। प्रार्थी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'A' के अनुसार नया रास्ता माँगा जा रहा है एवं रास्ते मे दर्ज होकर सिवाय चक किस्म गै. मु. दॉती से गै. मु. रास्ता करवाने हेत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। गै. मु. रास्ते मे दर्ज होने वाली भुमि का **प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार जमा योग्य शुल्क का भुगतान करने को तैयार है।** जिससे उनको उनकी भुमि सार्वजनिक रास्ते होने से भुमि का नुकसान की भरपाई का मुआवजा मिल सके तथा प्रार्थी को भाविष्य मे होने वाली समस्या का सामना नहीं करना पडे। प्रार्थी, अप्रार्थी व अन्य खातेदार उक्त सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा हक अधिकार नही जतायेगें।रेकडेर्ड रास्ते से प्रार्थी की भुमि मे आवागमन हेतु सबसे नजदीकी खसरा सं. 225 मे से होकर करना होता है। जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि पर आने जाने हेतु सलग्न नजरी नक्शे अंनुसार अप्रार्थी की भुमि मे से रेकडेर्ड रास्ता मांगा है। प्रार्थी अपनी भुमि पर आवागमन हेतु उक्त भुमि मौके पर रास्ते के उपयोग मे काम आयेगी। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उसके पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रमाणित है, विधि अनुरूप है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के ही पक्ष में है। मौजूदा प्रार्थना पत्र में नियत न्यायशुल्क अदा किया जा रहा है। मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवण क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है।प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा धोलिया पटवार हल्का सेन्दडा भु. अभि. निरि. सेन्दडा तहसील रायपुर के खसरा नं. 227 रक्बा 0.0632 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 237/2 रक्बा 0.0497 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 237/1 रक्बा 0.1016 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 238 रक्बा 0.0519 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम खातेदारी भुमि आई हुई हे एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि में आने जाने हेतु मुख्य रास्ते से अप्रार्थी की खातेदारी भुमि ग्राम धोलिया के खसरा सं. 225 मे नजरी नक्शे अनुसार व मौके पर बने कदिमि रास्ते अनुसार अपने खेत मे आते जाते है परन्तु राजस्व रेकडेर्ड मे रास्ता नही होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी मे आने जाने हेतु भारी समस्या का सामना करना पड रहा है जिस कारण प्रार्थी को

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अन्य खातेदार की जोत मे से होकर नया मार्ग खोलना या बिद्यमान मार्ग का विस्तार करना (अधिनियम स. 1 आफ 2012 द्वारा जोडा गया एवं दिनाक 18 जनवरी 2012 से लागु किया गया) सुखाधिकार अधिनियम के तहत विवादित भुमि ग्राम धोलिया के खसरा सं. 225 मे से मुख्य सडक के खसरा नं. 225/1 से आने जाने हेतु 30 फुट चोडा एवं प्रार्थी की भुमि तक पहूचे जितना फुट लम्बा भुमि को अप्रार्थी के खसरा नं. 225 खातेदारी भुमि कि किस्म गै. मु. दॉती से किस्म गै. मु. रास्ता के रूप मे घोषित करवाने का आदेश दिरावे। प्रार्थी सार्वजनिक रास्ते मे अवाप्त होने वाली भुमि का राजस्थान सरकार द्वारा तय मुआवजा देने को तैयार है। आदेश की तहरीर तहसीलदार रायपुर का पालना हेतु भिजवाई जावे। श्रीमान द्वारा पारित आदेशानुसार गै. मु. रास्ता सार्वजनिक रहेगा। उक्त भुमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से मौका जांच रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने बाबत् प्रतिवेदन प्रेषित करने एंव रास्ता प्रदत करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर की दुगुनी राशि लिये जाने के प्रावधान होने से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर के संबध में प्रतिवेदन तहसीलदार रायपुर से प्राप्त किया गया। तहसीलदार रायपुर ने उनके प्रतिवेदन दिनांक 06.06.2022 के द्वारा प्रार्थीगण कृषि भूमि सरहद मौजा धौलिया पटवार हल्का सेन्दडा भू अभिलेख निरीक्षक सेन्दडा तहसील रायपुर के खसरा नं 227 रकबा 0.0632 है, खसरा नम्बर 237/2 रकबा 0.0497 है., खसरा नम्बर 237/1 रकबा 0.1016 है. एवं खसरा नम्बर 238 रकबा 0.0519 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के खातेदार काश्तकार होने एंव भू अभिलेख निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी को भूमि में आवागमन हेतु राजकीय भूमि ख.न. 225 रकबा 2.1334 हैक्टेयर किस्म गै.मु. दांती में से 0.0538 है. भूमि का 30 फीट चौडा मार्ग का क्षैत्रफल 5790 वर्ग फीट यानि 0.0538 हैक्टेयर के अनुरूप नियमानुसार रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की हैं उक्त मौका रिर्पोट पर प्रार्थी अधिवक्ता ने गै. मु. दांती से गै. मु. रास्ता मे दर्ज होन वाली भुमि की गणना त. रा. से करवाकर चालान नियमानुसार मद मे प्रार्थी से जमा करवाने का पत्र प्रार्थी के निवेदन पर जारी किया। मौजा धौलिया की रास्ते मे दर्ज होने वाली भुमि हेतु भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा किस्म गै. मु. दाती की भूमि की डीएलसी दर रूपये 28,33,562 रू. प्रति हैक्टेयर हैं। जिस अनुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का 3,04,900/– अक्षरे रूपये अक्षरे तीन लाख चार हजार नौ सौ रूपये क्षतिपूर्ति राशि बनती हैं। प्रार्थीगण द्वारा राशि रू 3,04,900 अक्षरे रूपये अक्षरे तीन लाख चार हजार नौ सौ रूपये मात्र राज्य कोष में जरिये चालान संख्या 84 दिनांक 05.08.2022 एवं जीआएन नम्बर 65377665 दिनांक 06.08.2022 के द्वारा जमा कराये गये। तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/तराले/22/368 दिनांक 10.08.2022 के साथ संलग्न चालान की प्रति प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 225 रकबा 2.1334 है. किस्म

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

गै. मु.दांती में 30 फीट चौडा मार्ग का क्षैत्रफल 5790 वर्ग फीट यानि 0.0538 हैक्टेयर का रास्ता दिये जाने की अनुशंषा भी हैं।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थीगण को सरहद मौजा धौलिया पटवार हल्का सेन्दडा भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा तहसील रायपुर के खसरा नंबर 225 रकबा 2.1334 है. किस्म गै. मु.दांती में 30 फीट चौडा मार्ग का क्षैत्रफल 5790 वर्ग फीट यानि 0.0538 हैक्टेयर रास्ता दिये जाने की अनुंशषा की है, एंव राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक/प.3(52) राज–6/12/14 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार देय राशि 3,04,900 अक्षरे रूपये अक्षरे तीन लाख चार हजार नौ सौ जरिये जीआरएन नम्बर 65377665 दिनांक 06.08.2022 के द्वारा राजकोष में जमा करा दिये है। मौके की स्थिति के अनुसार प्रार्थीगण व अन्य खसरा नंबर की भूमि में आवागमन हेतु उक्त खसरा खसरा नंबर 225 रकबा 2.1334 है. किस्म गै. मु.दांती में 30 फीट चौडा मार्ग का क्षैत्रफल 5790 वर्ग फीट यानि 0.0538 हैक्टेयर का सावर्जनिक प्रयोजनार्थ हेतु गै. मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः सरहद मौजा धौलिया पटवार हल्का सेन्दडा भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा तहसील रायपुर खसरा नंबर 225 रकबा 2.1334 है. किस्म गै. मु.दांती में 30 फीट चौडा मार्ग का क्षैत्रफल 5790 वर्ग फीट यानि 0.0538 हैक्टेयर की भूमि में तहसीलदार रायपुर के पत्र क्रमांक 1409 दिनांक 06.06.2022 के संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित भूमि की किस्म गै. मु. दांती से गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ता सावर्जनिक प्रयोजनार्थ होगा अर्थात रास्ता आसपास के कृषको एंव राहगीरों के द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। इस रास्ते के उपयोग हेतु किसी प्रकार से बाधित/अवरूद्व नही किया जा सकेगा। उक्त रास्ते पर किसी भी प्रार्थीगण द्वारा हक अधिकार नहीं जताया जायेगा। तहसीलदार रायपुर के प्रतिवेदन के संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)